पर्यावरण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नईदिल्ली–110002

फा. सं०:10(16)/पर्यावरण/2022/8951-54

दिनांक : 26/03/2022

सेवा में,

श्रीमान उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

विषय : **विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 126 दिनाँक 28.03.2022 के लिए**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ पत्रांक संख्या सं.एफ.11(बी–1) VI/2020–25/वि.स.स./प्रश्न शा./3159 दिनाँक 17.03.2022, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह विषय माननीय मंत्री (पर्यावरण) / सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदित/स्वीकृत है।

भवदीय,

चेतना

(डॉ चेतना आनंद)
वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण

संलग्नः– उत्तर की प्रतियां (संख्या 100)

फा. सं०: 10(16)/पर्यावरण/2022/8951-54

दिनांक : 26/03/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. निजि सचिव, सचिव (पर्यावरण एवं वन्य विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 **(संलग्न 150 प्रश्न–उत्तर की प्रतिया)।**

चेतना

(डॉ चेतना आनंद)
वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण

Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi
6th Level, C-Wing
Delhi Sectt. Delhi-02

पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
छठी मंजिल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय
आई.पी. एस्टेट, नयी दिल्ली- 110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 126
तिथि : 28.03.2022
प्रश्नकर्ता का नाम : **श्री ओम प्रकाश शर्मा**

माननीय पर्यावरण मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे:

क्र. संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2022 में दिल्ली वासियों को निरंतर बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिये दिल्ली सरकार क्या क्या नये कदम उठा रही है;	दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किये जा रहे नये उपाय इस प्रकार हैं: i. **दिल्ली में वायु प्रदूषण के अग्रिम प्रबंधन के लिये वास्तविक-समय स्रोत अंशापन और पूर्वानुमान:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में लक्षित, सार्थक और ठोस निर्णय लेने के लिये व्यापक वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान के लिये आईआईटी कानपुर नीत संकाय द्वारा "दिल्ली में वायु प्रदूषण के अग्रिम प्रबंधन के लिये वास्तविक-समय स्रोत अंशापन और पूर्वानुमान" (IIT Kanpur led consortium for executing a study on Real Time Source Apportionment Study in Delhi) की मंजूरी दी है। दिल्ली में वास्तविक समय स्रोत अंशापन अध्ययन के लिये आईआईटी (IIT) कानपुर नीत संकाय के साथ समझौते पर 22.10.2021 को हस्ताक्षर हुआ और अध्ययन शुरू कर दिया गया। यह अध्ययन 23 महीने की अवधि में पूरा होगा। ii. **अत्यधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम:** अत्यधिक वायु प्रदूषण के दौरान संबधित नगर निगमों द्वारा चिन्हित 13 अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकथाम संबंधी प्रस्ताव लागू करने के लिये गैप फंडिंग स्कीम की क्रियान्वयन रणनीति की तैयारी विचाराधीन हे। iii. **धूल प्रदूषण नियंत्रण स्व-आकलन वेब पोर्टल:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिये 500 वर्ग मीटर और अधिक निर्मित क्षेत्र के निर्माण और निर्माण गिराये जाने के स्थलों के स्व आकलन की शुरूआत 07.09.2021 को की गयी। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि निर्माण

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

गतिविधियां स्व आकलन और धूल नियंत्रण के उपाय करेंगी तथा नियामक एजेंसियों को बेहतर निरीक्षण और निगरानी में मदद करेंगी। 28.02.2022 तक पोर्टल पर 584 स्थल पंजीकृत हो चुके हैं।

iv. **ईंधन अधिसूचना के लिये अनिवार्य नियंत्रण अधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) मसौदा अधिसूचना:** वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत मसौदा अधिसूचना 03.03.2022 को लोगों की प्रतिक्रिया और सुझावों के लिये जारी की गयी। अधिसूचना में पैट्रोल/ डीजल/ सीएनजी पंप के सभी डीलरों को तत्काल प्रभाव से केवल वैध नियंत्रण अधीन प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) दिखाने वाले मोटर वाहनों को ही पैट्रोल/ डीजल/ सीएनजी बेचने का निर्देश दिया गया है।

v. **ई-वाहन समूहक (एग्रेगेटर) मसौदा अधिसूचना:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत मसौदा अधिसूचना लोगों की प्रतिक्रिया और सुझावों के लिये जारी की गयी है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी समूहक और आपूर्ति सेवा प्रदाता (जैसे खाद्य सामग्री की डिलीवरी, ई. वाणिज्य लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कूरियर) नयी व्यवस्था अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित अनुपात में, आगे समीक्षा योग्य, विद्युत वाहन अपनायें:

विद्युत वाहन अपनाना	तीन महीने में	31 मार्च 2023 तक
टू व्हीलर (दो पहिया वाहन)	10 %	50 %
फोर व्हीलर (चौपहिया वाहन)	5 %	25 %

vi. **विद्युत वाहनों को बढ़ावा**: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 07.08.2020 को दिल्ली विद्युत वाहन नीति अधिसूचित की। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में तेजी से विद्युत वाहन अपनाये जाने को बढ़ावा देना और निम्नलिखित उपायों से विद्युत वाहनों के लिये आवश्यक चार्जिंग व्यवस्था तेज गति से स्थापित करना है:

- वित्तीय प्रोत्साहन - खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन,

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific ...
Department ...

ऋण पर ब्याज रियायत

- पथ कर और पंजीकरण शुल्क से छूट

- चार्जिंग स्टेशन और स्वैपेबल बैटरी स्टेशन नेटवर्क की स्थापना

निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली विद्युत वाहन नीति निजी और सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा के लिये अनुकूल व्यवस्था सृजित किये जाने का प्रावधान करती है। इस संबंध में निजी और अर्द्ध निजी परिसरों में, जैसे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किराना स्टोर में चार्जिंग प्वायंट लगाने के लिये सिंगल विंडो प्रक्रिया सृजित की जानी है। दिल्ली विद्युत वाहन नीति में प्रति निजी चार्जिंग प्वायंट 6000 रुपये तक के समुचित वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

vii. **दिल्ली में ई-कचरा प्रबंधन ईको पार्क की स्थापना:** मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के साथ कोई समझौता किये बिना सतत और अधिकतम ई-कचरा प्रबंधन के लिये प्रस्तावित ई-कचरा प्रबंधन ईको पार्क के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में छोटी इकाईयों और संगठित क्षेत्र में बड़ी इकाईयों को एकल श्रृंखला में शामिल किया जायेंगा। इस व्यवस्था में ई कचरे के अलावा, अन्य सामग्री जैसे प्लास्टिक, लौह और अलौह धातुओं का भी पुनःचक्रण किया जायेगा।

viii. **उपचार भंडारण और निस्तारण केंद्र (TSDF) की स्थापना:** बवाना में घातक कचरा, उपचार, भंडारण और निस्तारण केंद्र का विकास किया जा रहा है। यह कार्य मेसर्स तमिलनाडु कचरा प्रबंधन लिमिटेड को सौंपा गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति- डीपीसीसी (DPCC) ने 31.12.2020 को परियोजना प्रस्तावक को वायु और जल अधिनियमों के तहत परियोजना लगाने की अनुमति जारी की। भठ्ठी के साथ टीएसडीएफ (TSDF) तैयार हो चुका है और डीपीसीसी (DPCC) ने 24.09.2021 को इसे संचालन अनुमति भी दे दी है। इस केंद्र ने घातक कचरा एकत्र करना भी शुरू कर दिया है।

ix. **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (NCAP) **का क्रियान्वयन:** यह कार्यक्रम 133 से अधिक शहरों में प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये विभिन्न सेक्टर की नीतियों को लागू करने, निगरानी मजबूत करने और जन भागीदारी बढ़ाने की एक समय बद्ध योजना है। इसके तहत 2025 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$) में 20%–30% कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्रस्तावित है। एनसीएपी के तहत दिल्ली की राज्य कार्रवाई य़ोजना केंद्रीय

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific
Departme...
Govt...

ऋण पर ब्याज रियायत

- पथ कर और पंजीकरण शुल्क से छूट

- चार्जिंग स्टेशन और स्वैपेबल बैटरी स्टेशन नेटवर्क की स्थापना

निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली विद्युत वाहन नीति निजी और सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा के लिये अनुकूल व्यवस्था सृजित किये जाने का प्रावधान करती है। इस संबंध में निजी और अर्द्ध निजी परिसरों में, जैसे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किराना स्टोर में चार्जिंग प्वायंट लगाने के लिये सिंगल विंडो प्रक्रिया सृजित की जानी है। दिल्ली विद्युत वाहन नीति में प्रति निजी चार्जिंग प्वायंट 6000 रुपये तक के समुचित वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

vii. **दिल्ली में ई-कचरा प्रबंधन ईको पार्क की स्थापना:** मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के साथ कोई समझौता किये बिना सतत और अधिकतम ई-कचरा प्रबंधन के लिये प्रस्तावित ई-कचरा प्रबंधन ईको पार्क के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में छोटी इकाईयों और संगठित क्षेत्र में बड़ी इकाईयों को एकल श्रृंखला में शामिल किया जायेंगा। इस व्यवस्था में ई कचरे के अलावा, अन्य सामग्री जैसे प्लास्टिक, लौह और अलौह धातुओं का भी पुनःचक्रण किया जायेगा।

viii. **उपचार भंडारण और निस्तारण केंद्र (TSDF) की स्थापना:** बवाना में घातक कचरा, उपचार, भंडारण और निस्तारण केंद्र का विकास किया जा रहा है। यह कार्य मेसर्स तमिलनाडु कचरा प्रबंधन लिमिटेड को सौंपा गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति- डीपीसीसी (DPCC) ने 31.12.2020 को परियोजना प्रस्तावक को वायु और जल अधिनियमों के तहत परियोजना लगाने की अनुमति जारी की। भठ्ठी के साथ टीएसडीएफ (TSDF) तैयार हो चुका है और डीपीसीसी (DPCC) ने 24.09.2021 को इसे संचालन अनुमति भी दे दी है। इस केंद्र ने घातक कचरा एकत्र करना भी शुरू कर दिया है।

ix. **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (NCAP) **का क्रियान्वयन:** यह कार्यक्रम 133 से अधिक शहरों में प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिये विभिन्न सेक्टर की नीतियों को लागू करने, निगरानी मजबूत करने और जन भागीदारी बढ़ाने की एक समय बद्ध योजना है। इसके तहत 2025 तक पार्टिकुलेट मैटर (पीएम$_{10}$ और पीएम$_{2.5}$) में 20%–30% कमी लाने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्रस्तावित है। एनसीएपी के तहत दिल्ली की राज्य कार्रवाई योजना केंद्रीय

चेतना
Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, वित्तीय संसाधन की आवश्यकता सहित, सौंप दी गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एनसीएपी के तहत निधि प्राप्त हो चुकी है और यह राशि उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सौंप दी गयी है।

x. **जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्रवाई योजना (SAPCC) दिल्ली की समीक्षा:** पर्यावरण विभाग ने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्रवाई योजना -दिल्ली की समीक्षा का दायित्व जीआईजेड-(GIZ-India) इंडिया को सौंपा हैं। संशोधित एसएपीसीसी (SAPCC) में प्रमुख विकास सेक्टर जैसे ऊर्जा, जल संसाधन, वन और जैव विविधता, परिवहन इत्यादि के अंतर्गत 2030 तक लागू की जाने वाली रोकथाम और अनुकूलन रणनीतियों का ब्योरा है। जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्रवाई योजना -दिल्ली की समीक्षा रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है।

xi. **भूमिगत जल नियमन और प्रबंधन संशोधन**: दिल्ली सरकार की भूमिगत जल नियमन और प्रबंधन अधिसूचना दिनांक 12.02.2010 में केंद्रीय भू जल प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 24.09.2020 की अधिसूचना के अनुरूप संशोधन प्रक्रियाधीन है।

xii. **यमुना सफाई प्रकोष्ठ (वाईसीसी):**

दिनांक 03.12.2021 के आदेश के तहत यमुना सफाई प्रकोष्ठ (Yamuna cleaning cell) (वाईसीसी) का गठन किया गया और दिनांक 09.02.2022 के आदेश के तहत इसे पुनर्गठित किया गया। उक्त आदेशों के अनुसार, यमुना सफाई प्रकोष्ठ (वाईसीसी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई यमुना सफाई कार्य योजना के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा।

वाईसीसी को यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित 6 कार्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना है:

- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एसटीपीज) और विकेन्द्रीकृत सीवेज प्लांटों (डीएसटीपीज) की क्षमता बढ़ाना।
- 4 प्रमुख नालों की यथास्थान सफाई: यमुना नदी में गिरने वाले 4 प्रमुख नालों (नजफगढ़, सप्लिमेंटरी ड्रेन, बारापुला, शाहदरा) का स्वस्थाने (In-situ) उपचार/सफाई।
- सभी औद्योगिक कचरे को कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

(सीईटीपीज) में डायवर्ट किया जाएगा।

- ➢ जेजे क्लस्टर्स (675 संख्या) के ड्रेन/ड्रेनेज सिस्टम को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना।
- ➢ प्रत्येक परिवार को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना (सभी 1799 अनधिकृत कॉलोनियों में कनेक्शन सहित)
- ➢ सीवर लाइनों की गाद निकालना।

यमुना सफाई प्रकोष्ठ की बैठकें नियमित रूप से साप्ताहिक आधार पर आयोजित की जाती हैं और 21.03.2022 तक 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी थीं। दिल्ली में जल प्रदूषण उद्योगों/इकाइयों के निरीक्षण और उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड, डीपीसीसी, डीएसआईआईडीसी और 3 नगर निगमों (उत्तरी डीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी) के प्रतिनिधियों की ग्यारह टीमों का गठन किया गया है।

xiii. **दिल्ली आर्द्र भूमि प्राधिकरण (Wetland Authority of Delhi):** 91 आर्द्रभूमि मित्रों की घोषणा कर आर्द्र भूमि संरक्षण में जन भागीदारी की योजना बनायी गयी है। आर्द्रभूमि मित्र (Wetland Mitras) प्राधिकरण को आर्द्रभूमि के संरक्षण और बहाली में सहयोग कर सकते है और इस प्रकार विभिन्न हितधारकों के साथ सरकार का सहयोग और मजबूत कर सकते हैं। दिल्ली में 10 आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने की मसौदा अधिसूचना तैयार की गयी है।

xiv. **अनुसंधान और विकास अध्ययन (Research & Development Study):** विभाग ने विभिन्न अनुसंधान और विकास अध्ययन संचालित करने का प्रस्ताव किया है। ये अध्ययन विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से निपटने और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान की नीति/रणनीतियां तैयार करने सरकार के लिये उपयोगी साबित हो सकते हैं। निम्नलिखित अध्ययन प्रस्तावित हैं:

- दिल्ली में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) पर अध्ययन
- दिल्ली में यमुना कि झाग के बारे में अध्ययन
- दिल्ली में यमुना नदी और भूमिगत जल में माइक्रोप्लास्टिक संबंधी अध्ययन

xv. **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने मिशन मोड में एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) समाप्त करने के

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

उपायों के लिये विशेष कार्यबल गठित किया गया है। पर्यावरण विभाग ने इस बारे में व्यापक कार्ययोजना तथा सूचना, शिक्षा और संचार योजना तैयार की थी और इसे सभी हितधारक विभागों / एजेंसियों को वितरित किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में एकल उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं को बंद करने के बारे में परामर्श 28.10.2021 को जारी किया गया। इन वस्तुओं का व्यावहारिक विकल्प तय करने और अपनाने के बारे में मसौदा नीति तैयार कर ली गयी है। पर्यावरण विभाग ने अगले दो महीनों में विभिन्न हितधारक विभागों के लिये, प्रमुख प्लास्टिक कचरा संघो/संगठनों के माध्यम से ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी प्रस्ताव किया। पर्यावरण विभाग ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक (SUP) का उपयोग करने वाली चिन्हित कंपनियों और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विनियम 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई के उद्देश्य से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिटी एसपी जोन (City SP zone) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये 16.03.2022 को ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे और भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

xvi. **क्षमता निर्माण- हरित दिल्ली फेलोशिप कार्यक्रम और कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू):** पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण पर विशेष ध्यान सहित दिल्ली के पर्यावरण में सुधार के लिये, हरित दिल्ली फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 28 समर्पित कार्यकर्ताओं (3- विशेषज्ञ, 10- फेलो और 15- सहायक फेलो) की टीम नियुक्त की है।

xvii. **पौधरोपण:** वित्तीय वर्ष 2021-2022, सभी हरित एजेंसियो ने 25.75 लाख पौधे लगाये और 6.96 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किये। मध्य और दक्षिण रिज में 250 से अधिक चेक डैम (check dam) बनाये गये हैं

xviii. **सार्वजनिक परिवहन में सुधार**: परिवहन विभाग नयी बसें शामिल कर और विद्युत चालित बसें लेकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत कर रहा है।

xix. **जन जागरुकता:** प्रदूषण नियंत्रण के लिये जनजागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग वाहन मालिकों को अपने वाहनों कि नियंत्रण अधीन प्रदूषण की जांच (पीयूसीसी) कराने के लिये एसएमएस भेज रहा है और इस बारे में प्रमुख समाचार पत्रों मे विज्ञापन भी दिये जा रहे हैं।

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

ख)	ऐसे कौन-कौन से कदम हैं जिनकी घोषणा प्रदूषण रोकने के लिये वर्ष 2021 में की गयी थी और वर्ष 2022 में उनका क्रियान्वयन किया जाना है;	वित्तीय वर्ष 2021-2022 की बजट घोषणा के पर्यावरणीय खंड में प्रदूषण नियंत्रण के लिये निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी थी: • सरकार द्वारा व्यापक पर्यावरण संरक्षण के लिये कई उपायों की घोषणा की गयी थी। जैसे जहां तक संभव हो दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ाना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना, प्रदूषक तत्वों की रोकथाम के लिये पूसा **(Pusa)** के वैज्ञानिको द्वारा तैयार बायो डि-कंपोजर (bio-decomposers) के उपयोग को बढ़ावा देना, सड़क बुहारी यंत्र लगाना, एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी, ठोस कचरा प्रबंधन, अवजल उपचार का बेहतर प्रबंधन, खुले में कूड़ा -कचरा और पत्तियां जलाने पर रोक, ताप बिजली संयंत्र बंद किया जाना, दिल्ली में दो स्मॉग टावर तथा वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिये वास्तविक समय आकलन प्रणाली आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर से सहयोग से लागू की जा रही है। • सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक पंजीकृत किये जाने वाले नये वाहनों में कम से कम 25 प्रतिशत विद्युत चालित वाहन होंगे। • अन्य उपायों में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में ई- बसों **(e-buses)** को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाना शामिल है। सरकार ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 11,000 बसों का लक्ष्य रखा है। • अन्य उपायो दिल्ली के हरित कवर की रक्षा के लिये पौध प्रतिरोपण नीति लागू करना और लगातार इसे विस्तारित करना शामिल है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में घोषित कदमों पर लगातार कार्रवाई की गयी और अगले वित्तीय वर्ष में भी नियमित कार्रवाई की जायेगी। **<u>उक्त घोषित कदमों पर की गयी कार्रवाई का ब्योरा इस प्रकार है।</u>** • दिल्ली सरकार ने पहली अक्तूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सर्दियों की 10 सूत्रीय कार्ययोजना लागू की जिसने लक्षित कार्रवाई पर बल दिया जिसे सरकार इस सर्दियों के दौरान अपनायेगी। i. पराली जलाने की रोकथाम ii. धूल रोधी अभियान iii. कूड़ा कचरा जलाने पर पाबंदी iv. पटाखे जलाने पर पाबंदी v. स्मॉग टावर vi. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्थलों की पहचान और निगरानी vii. हरित वॉर रूम (Green War Room) को मजबूती

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific [illegible]
Department [illegible]
[illegible]

ख)	ऐसे कौन-कौन से कदम हैं जिनकी घोषणा प्रदूषण रोकने के लिये वर्ष 2021 में की गयी थी और वर्ष 2022 में उनका क्रियान्वयन किया जाना है;	वित्तीय वर्ष 2021-2022 की बजट घोषणा के पर्यावरणीय खंड में प्रदूषण नियंत्रण के लिये निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गयी थी: • सरकार द्वारा व्यापक पर्यावरण संरक्षण के लिये कई उपायों की घोषणा की गयी थी। जैसे जहां तक संभव हो दिल्ली का हरित क्षेत्र बढ़ाना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाना, प्रदूषक तत्वों की रोकथाम के लिये पूसा **(Pusa)** के वैज्ञानिको द्वारा तैयार बायो डि-कंपोजर (bio-decomposers) के उपयोग को बढ़ावा देना, सड़क बुहारी यंत्र लगाना, एकल उपयोग प्लास्टिक पर पाबंदी, ठोस कचरा प्रबंधन, अवजल उपचार का बेहतर प्रबंधन, खुले में कूड़ा -कचरा और पत्तियां जलाने पर रोक, ताप बिजली संयंत्र बंद किया जाना, दिल्ली में दो स्मॉग टावर तथा वायु, जल और भूमि प्रदूषण की निगरानी के लिये वास्तविक समय आकलन प्रणाली आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर से सहयोग से लागू की जा रही है। • सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक पंजीकृत किये जाने वाले नये वाहनों में कम से कम 25 प्रतिशत विद्युत चालित वाहन होंगे। • अन्य उपायों में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में ई- बसों **(e-buses)** को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ाना शामिल है। सरकार ने दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 11,000 बसों का लक्ष्य रखा है। • अन्य उपायो दिल्ली के हरित कवर की रक्षा के लिये पौध प्रतिरोपण नीति लागू करना और लगातार इसे विस्तारित करना शामिल है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में घोषित कदमों पर लगातार कार्रवाई की गयी और अगले वित्तीय वर्ष में भी नियमित कार्रवाई की जायेगी। **<u>उक्त घोषित कदमों पर की गयी कार्रवाई का ब्योरा इस प्रकार है।</u>** • दिल्ली सरकार ने पहली अक्तूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक सर्दियों की 10 सूत्रीय कार्ययोजना लागू की जिसने लक्षित कार्रवाई पर बल दिया जिसे सरकार इस सर्दियों के दौरान अपनायेगी। i. पराली जलाने की रोकथाम ii. धूल रोधी अभियान iii. कूड़ा कचरा जलाने पर पाबंदी iv. पटाखे जलाने पर पाबंदी v. स्मॉग टावर vi. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्थलों की पहचान और निगरानी vii. हरित वॉर रूम (Green War Room) को मजबूती

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific [illegible]
Department of [illegible]
Govt. of NC[illegible]

देना

viii. हरित दिल्ली ऐप (Green Delhi App) का उन्नयन

ix. ई-कचरा (E-waste) पार्क

x. वाहन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने धूल रोधी नियमों के कड़ाई से अनुपालन तथा निर्माण और निर्माण ढहाये जाने का मलबा अवैध ढंग से जमा करने पर रोक के लिये 585 प्रवर्तन टीमों की तैनाती की गयी । और 550 टीमों की तैनाती, रात दिन गश्त के जरिये बायोमास और ठोस कचरा जलाने की घटनाओं का पता लगाने और चालान काटने के लिये की गयी ।
- ओ.ए. संख्या 21/2014 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है। खुले में कचरा जलाने पर चालान काटने के लिये, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एसडीएम और तहसीलदारों के साथ प्राधिकृत किया गया है।
- वर्ष 2021 और 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विकास विभाग ने आईएआरआई (IARI) द्वारा विकसित बायो डिकंपोजर (bio-de composers) का निःशुल्क छिड़काव दिल्ली के कृषि क्षेत्रों में किया।
- 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र के निर्माण और निर्माण गिराये जाने की परियोजनाओं में एंटी स्मॉग गन के उपयोग के लिये दिशानिर्देश/व्यवस्था तंत्र 16 सितंबर 2021 को जारी किया गया।
- परिवेशी वायु में धूल उत्सर्जन रोकने के लिये शहरी स्थानीय निकाय और लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमित रूप से जल छिड़काव और सड़को की यांत्रिक बुहारी का काम किया गया।
- दिल्ली में कोयला आधारित कोई ताप बिजली संयंत्र (coal based thermal power plant) नहीं है।
- दिल्ली में एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक के लिये व्यापक कार्य योजना (CAP) तथा सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) योजना तैयार की गयी और सभी हितधारक विभागों और एजेंसियो को 23.08.2021 और 24.08.2021 को वितरित कर दी गयी।
- सभी संबंधित पक्षों की दो बैठकों के बाद एकल उपयोग प्लास्टिक (Single use plastic) के व्यवहार्य विकल्प की पहचान और अपनाये जाने से संबंधित मसौदा नीति तैयार कर ली गयी है।
- पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) की वस्तुओं का उपयोग रोकने के लिये 28.10.2021 को परामर्श

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Env...
Govt. of NCT ...

		जारी किया। • यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही है। • वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सभी हरित एजेंसियों ने 28.87 लाख पौधे लगाने और निःशुल्क वितरण का लक्ष्य रखा है। • **विद्युत चालित वाहनों को बढ़ावा:** मंत्रिमंडल के 23.12.2019 के निर्णय से दिल्ली विद्युत वाहन नीति को मंजूरी दी गयी और इसके बाद परिवहन विभाग ने 07.08.2020 को इसे अधिसूचित किया। इस नीति का उद्देश्य दिल्ली में तेजी से बिजली चालित वाहनों को अपनाया जाना और आवश्यक चार्जिंग बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। परिवहन विभाग को ई-वाहन नीति लागू करने के लिये नोडल एजेंसी बनाया गया है। • प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के लिये वाहनों की जांच की जा रही है। • वर्ष 2022 के दौरान निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नयी बसें शामिल किये जाने की संभावना है। • रिट याचिका (सिविल) 13029/1985 एम.सी. मेहता बनाम भारत सरकार और अन्य, दिनांक 13.11.2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा बाबा खड्ग सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर लगाया गया, जो काम कर रहा है। दूसरा स्मॉग टावर आनंद विहार बस टर्मिनल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया है। • **दिल्ली में वायु प्रदूषण के अग्रिम प्रबंधन के लिये वास्तविक-समय स्रोत अंशापन और पूर्वानुमान:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में लक्षित, सार्थक और ठोस निर्णय लेने के लिये व्यापक वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान के लिये आईआईटी कानपुर नीत संकाय द्वारा "दिल्ली में वायु प्रदूषण के अग्रिम प्रबंधन के लिये वास्तविक-समय स्रोत अंशापन और पूर्वानुमान" ("Real-Time Source Apportionment and Forecasting for Advance Air Pollution Management in Delhi") की मंजूरी दी है। दिल्ली में वास्तविक समय स्रोत अंशापन अध्ययन के लिये आईआईटी कानपुर नीत संकाय के साथ समझौते पर 22.10.2021 को हस्ताक्षर हुआ और अध्ययन शुरू कर दिया गया। यह अध्ययन 23 महीने की अवधि में पूरा होगा।
ग)	क्या प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बसों से निकलने वाला धुंआ और टूटी फूटी सड़को से निकलने वाली धूल है; और	जी हां, महोदय।

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of E...
Govt. of NCT of Delhi

घ)	यदि हां तो सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है?	1. **वाहन प्रदूषण नियंत्रण उपाय** i. **दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाले वाणिज्यिक वाहनों पर प्रभार:** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के अनुपालन में, दिल्ली जाने वाले लाइट और हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक माल वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क (Environment Compensation Charge) लगाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और परिवहन विभाग और दक्षिणी दिल्ली निगर निगम द्वारा लागू की जा रही हैं। ii. **सार्वजनिक परिवहन का विस्तार:** वर्तमान में, सिटी बस बेड़े में 6960 बसें (3760 डीटीसी + 3200 क्लस्टर बसें) शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 800 मिनी बसों और 174 मेट्रो फीडर बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। iii. **इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन:** दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को कैबिनेट के दिनांक 23.12.2019 के निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसके बाद परिवहन विभाग द्वारा 07.08.2020 को अधिसूचित किया गया था। नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करना और निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन के माध्यम से त्वरित गति से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है: क) वित्तीय प्रोत्साहन - खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज सब्सिडी। ख) रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ ग) चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना। अपेक्षित अधिसूचना जारी करना वर्तमान में रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विचाराधीन है। 28.02.2022 तक (ईवी पोर्टल "ev.delhi.gov.in" के अनुसार) 191 ईवी स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। घ) स्विच दिल्ली अभियान 04.02.2021 को शुरू किया गया था. iv रा.रा;क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त विभाग के दिनांक

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi

25.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत ई वाहन अपनाने को अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के विभागों/स्वायत्त निकायों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए अपने मौजूदा किराए के पेट्रोल / डीजल / सीएनजी वाहनों को छह महीने के भीतर लीज/हायरिंग मॉडल के माध्यम से ईवी में स्थानांतरित करना अथवा कंडेम वाहनों के बदले नए वाहन खरीदना अनिवार्य है।

v **निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना:** दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति में निजी के साथ-साथ सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का प्रावधान है। इस संबंध में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या किराना स्टोर जैसे निजी और अर्ध-निजी परिसरों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली ईवी नीति के तहत 6000/- रुपये प्रति निजी चार्जिंग पॉइंट तक उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।

vi माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल एवं 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त करने हेतु लक्षित कार्रवाई की जा रही है।

vii प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) के लिए प्रतिदिन 7000 से अधिक वाहनों की जांच की जा रही है।

viii **मसौदा ई-वाहन एग्रीगेटर अधिसूचना**: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना का मसौदा जनता की राय/सुझाव जानने के लिए जारी किया गया है। प्रस्तावित अधिसूचना का लक्ष्य परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को यह निर्देश देना है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता (जैसे, खाद्य वितरण, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्रदाता, कूरियर्स), आगे समीक्षा के अधीन, नए ऑनबोर्ड बेड़े में निम्नलिखित अनुपात में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं :

अपनाए गए विद्युत वाहन	तीन महीने के भीतर	31 मार्च, 2023 तक
दुपहिया	10 %	50 %

Dr. CHETNA ...ND
Senior Scien... ...fficer
Department ... ...ironment
Govt. of NCT of Delhi

चौपहिया	5 %	25 %

ix **ईंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) अनिवार्य बनाने संबंधी अधिसूचना :** वाहनों के टेल पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, ***1986*** की धारा ***5*** के तहत प्रस्तावित अधिसूचना का मसौदा ***03.03.2022*** को जनता की टिप्पणियों / सुझावों के लिए जारी किया गया, जिसमें पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पंपों के सभी डीलरों को निर्देश देने का प्रस्ताव है कि वे तत्काल प्रभाव से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्रस्तुत करने पर ही मोटर वाहनों को पेट्रोल/डीजल/सीएनजी बेचें/वितरित करें।

x. **यातायात प्रबंधन:** प्रमुख मार्गों पर यात्रियों के लाभ के लिए यातायात की भीड़ के दौरान शीघ्र चेतावनी प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया जाता है, ताकि मार्ग परिवर्तन सुगम बनाया जा सके। दिल्ली यातायात पुलिस ने पुलिस मुख्यालयों में एक कम्पैटबल नियंत्रण कक्ष के साथ प्रमुख यात्रा गलियारों में 50 महत्वपूर्ण स्थानों पर 3 जी कनेक्टिविटी के साथ 50 वीएमएस (वैरिएबल मैसेज साइन) बोर्ड पहले ही स्थापित कर दिए हैं। वीएमएस बोर्ड सड़क उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण यातायात संबंधी जानकारी प्रदर्शित कर रहे हैं।

xi. दिल्ली में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने और आयोग को अवगत कराने के लिए लगातार निगरानी रखने और नियमित रूप से कदम उठाने के लिए दिनांक 08.04.2021 के आदेश के तहत एक कार्यबल का गठन किया गया है।

2. धूल नियंत्रण और सड़क से उत्सर्जित धूल फिर जमने की रोकथाम:

i. डीपीसीसी ने जून 2018 में निर्माण स्थलों और सड़क के धूल भरे खंडों पर dust suppressants का उपयोग करने के बारे में स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किये हैं।

ii. सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियां दिल्ली में सड़को पर गड्ढों की मरम्मत करके सड़कों को गड्ढों से मुक्त किया जाना सुनिश्चित

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of E...
Govt. of NCT ...

		कर रही हैं। iii. शहरी स्थानीय निकायों और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के किनारे को पक्का करना और दोनो ओर पौधे लगाना सुनिश्चित किया जाता है ताकि परिवेशी वायु में धूल उत्सर्जन को रोका जा सके। धूल नियंत्रण के लिये स्थानीय निकायों द्वारा जल छिड़काव यंत्रों (372) (Water Sprinklers) और यांत्रिक सड़क स्वीपर (69) (Mechanical Road Sweepers) का उपयोग किया जा रहा है। iv. स्थानीय निकाय डीएमसी द्वारा अपने इलाकों में सड़को की प्रभावी सफाई कार्य की देखरेख के लिये आरडबल्यूए की भी मदद ली जा रही है। लोगों में सफाई के निर्धारण के बारे में जागरुकता बढ़ायी जा रही है। सफाई और धूल नियंत्रण के लिये जल छिड़काव की निगरानी जीपीएस ट्रैकिंग से रखी जाती है। जल छिड़काव के लिये अनिवार्य रूप से एसटीपी उपचारित अवजल का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। v. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सड़क स्वामित्व/प्रबंधन /निर्माण एजेंसियों द्वारा धूल नियंत्रण और प्रबंधन प्रकोष्ठ गठित किया गया है। इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 12.02.2021 के निर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन और निगरानी का विशिष्ट दायित्व दिया गया है। vi. Dust suppressants, Mechanical Road Sweepers के उपयोग, एकत्र धूल के निस्तारण और हरित क्षेत्र बढ़ाने सहित धूल प्रबंधन की पायलट योजनायें स्थानीय निकायों द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के दिनांक 19.05.2021 के निर्देशानुसार तैयार की गयी हैं।

चेतना

Dr. CHETNA ANAND
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of NCT of Delhi